पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

लखनऊः 10 सितम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर राज्य मंत्रि-परिषद ने 'उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014' के द्वारा 'उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22 सन् 1994)' में संशोधन प्रस्तावित करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त 'अध्यक्ष' को राज्य सरकार के 'कैबिनेट मंत्री' की प्रास्थिति(status)देने के प्रस्ताव पर निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण (clarification) चाहा है-

1) भारत का संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने हेतु अन्य आवश्यक शर्तों के पूर्ण होने के साथ-साथ मामले में ''तात्कालिकता'' (urgency) का निहित होना भी एक पूर्व शर्त है । वर्ष 1994 से अद्यतन अर्थात् पिछले लगभग 20 वर्षों से उक्त आयोग के अध्यक्ष बिना कैबिनेट मंत्री की प्रास्थिति के कार्यरत हैं । अतएव प्रस्तावित अध्यादेश द्वारा अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री की प्रास्थिति दिये जाने के बारे में 'तात्कालिकता' का प्रश्न विचारणीय है ।

(2) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 के समान ही ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 2005)'' प्रवर्तन में है परन्तु उक्त केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत ''अध्यक्ष'' को केवल ''लोक सेवक'' की प्रास्थिति प्रदान की गयी है न कि कैबिनेट मंत्री की। उत्तर प्रदेश राज्य के कतिपय अन्य अधिनियमों में भी आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री की प्रास्थिति नहीं दी गयी है । उक्त राज्य आयोग के अध्यक्ष भारत का संविधान के अन्तर्गत नियुक्त मंत्री अथवा अन्य संवैधानिक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। किसी सामान्य विधान अथवा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किसी विधिक प्राधिकारी (statutory authority) को भारत का संविधान के अन्तर्गत नियुक्त मंत्रीगण के समतुल्य प्रास्थिति दिये जाने सम्बन्धी सरकार की अधिसूचनाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अभय सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2014 एससी 427 (प्रस्तर 22 व 23) में तथा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 6893/2013 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 के द्वारा भारत का संविधान की भावना के विपरीत मानते हुए अपास्त व स्थगित कर दिया गया है। अतएव प्रस्तावित अध्यादेश द्वारा उपरोक्त राज्य अधिनियम के अध्यक्ष को राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री की प्रास्थिति दिये जाने का प्रस्ताव विचारणीय हो जाता है ।

अंजुम/रा0/राजभवन-